न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 41/2024 **दायर दिनांकः 22.04.2024**

उनवान

1. शकीलाल बी पत्नि शकील अहमद पुत्री नूर खां जाति मुसलमान नि. दिलावरा तहसील पिडावा

— वादीया

बनाम

1. अब्दुल अजीज खां पि. छोटे खां जाति मुसलमान नि. दिलावरा तहसील पिडावा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 209 रा.टी.एक्ट व

धारा 135, 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण —

वकील वादी — श्री रमीज रजा कुरेशी

प्रतिवादी सं. 1 — श्री मसूद अहमद खान

प्रतिवादी सं. 2 — पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 18.03.2025**

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि यह कि ग्राम दिलावरा पटवार हल्का ओड़ियाखेड़ी तह० पिड़ावा में नई खाता संख्या 150 व पुरानी खाता संख्या 126 की आराजियात खसरा नं. 133 रकबा 0.4300 है० चाही दोयम, खसरा नं. 138 रकबा 0.7967 है0 बारानी प्रथम, खसरा नं. 231/464 रकबा 2.6431 है० बारानी दोयम, खसरा नं. 43 रास्ता वाला रकबा 0.5564 है० माल प्रथम, खसरा नं. 46/450 रकबा 0.4426 है। बारानी दोयम, खसरा नं. 51 रकबा 0.2656 है० बारानी दोयम कुल किता 6 कुल रकबा 5.1344 है० स्थित है सुविधा की दृष्टि से इन आराजियात को दावे में वादग्रस्त आराजियात के नाम से संबोधित किया [illegible] यह कि वादग्रस्त आराजियात वर्तमान रेकार्ड में वादिया के नाम व [illegible] 1/3 व सहखातेदार अजीज खां पुत्र छोटे खां व अब्दुल खां पुत्र छोटे खां के 1/3, 1/3 हिस्[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

में दर्ज रेकार्ड है जो सही नहीं है अजीज खां व अब्दुल खां अलग–अलग व्यक्ति नहीं है। वास्तविकता को समझाने के लिए वादिया व प्रतिवादी नं. 1 का शजरा वादपत्र में अंकित अनुसार है। मुताबिक शजरा वादग्रस्त आराजियात छोटे खां के खातेदारी में दर्ज रही है। छोटे खां के दो पुत्र हुवे अब्दुल अजीज खां प्रतिवादी नं. 1 व नूरखां जिनकी पोती वादिया है। नूर खां की दो पत्नियां थी धापुबाई और हफीजनबाई जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है। धापु बाई कि पुत्री वादिया शकीला बी के अलावा नूर खां के अन्य कोई वारिस नहीं है। यह कि वादग्रस्त आराजियात में सेटलमेंट के समय यानी सम्वत 2022–2041 तक दोनो भाईयों नूर खां व अब्दुल अजीज खां पिता छोटे खां कोम मुसलमान के नाम पर खातेदारी में दर्ज हो रही तथा दोनो भाईयों का 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज रहा सम्वत 2055–2058 तक वादिया के पिता नूर खां के फोत हो जाने से उनके स्थान पर वादिया व वादिया की दोनो माताओं के हफीजन बी व धापु बाई का खातेदारी में दर्ज हुआ जो सम्वत 2071–2074 तक चला प्रार्थीया की दोनो माताओं के फोत हो जाने के बाद सम्वत 2075–2078 में वादिया का नाम दर्ज हो गया परन्तु सहवन से राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादिया का हिस्सा 1/2 के बजाय 1/3 दर्ज हो गया तथा सहखातेदार अब्दुल अजीज खां का नाम जो सम्वत 2022–2041 में अब्दुल अजीज खां पुत्र छोटे खो जो सम्वत 2038–2041 में एक ही कर्ता अब्दुल अजीज खां के दो अलग–अलग नाम अब्दुल खां व अजीज खां दर्ज कर दिये गये जो निरन्तर वर्तमान जमाबंदी तक चले आ रहे है तथा एक ही नाम के एक व्यक्ति के दो अलग–अलग नाम व हिस्से दर्ज कर दिये गये। इस प्रकार दो खातेदारों वादिया व अब्दुल अजीज खां के स्थान पर तीन खातेदार वादिया, अब्दुल खां व अजीज खां दर्ज करके तीनो का 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जिसका कोई ओचित्य नहीं है। ये इन्द्राजात गलत दर्ज किये हुए है। वादिया को अपना हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी नं. 1 का 1/2 हिस्सा करवाने और तदानुसार घोषणा करवाने तथा राजस्व अधिकार अभिलेख यानी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में दुरुस्ती करवाने का अधिकार प्राप्त है। यह [illegible] आराजी के साथ ही वादिया एवं प्रतिवादी अब्दुल [illegible] खातेदारी की एक अन्य आराजी जो ग्राम दित[illegible] तह० पिड़ावा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, [illegible] (राज०)

खाता संख्या नया 29 पुराना 34 खसरा नं. 139, 44, 45, 50, 80, 82 कुल खसरा किता 6 कुल रकबा 7.2968 है० स्थित है। जसिमें प्रतिवादी अब्दुल अजीज खां पिता छोटे खां का एक ही नाम लिखा हुआ है जो सेटलमेंट के समय से ही चला आ रहा है जिसके समस्त दस्तावेज प्रतिलिपि दावे के साथ संलग्न है। यह कि प्रतिवादी नं. 1 ने अपने दो नामों का नाजायज फायदा उठा कर आराजी को खुर्द–बुर्द व मुन्तकिल आदि करने पर तत्पर है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। वादिया के वादग्रस्त आराजियात ने अपने 1/2 हिस्से को उपजाउ बनाने में कड़ी महनत की है, लाखो रुपये खर्च किया है, जीवन का महत्वपूर्ण समय आराजियात को विकसित करने में लगा दिया है। यदि प्रतिवादी नं. 1 को तुरन्त प्रभाव से नहीं रोका गया और वो आराजियात के किसी भी भाग को खुर्द–बुर्द व मुन्तकिल आदि करने में सफल हो गये तो वादिया के हितो पर गहरा आघात होगा अधिकारों में हस्तक्षेप होगा वादिया प्राकृतिक व पारदर्शी न्याय से वंचित हो जायेगी जिससे उसे अपरिमित क्षति होगी जिसका आकलन व भरपाई किया जाना संभव नहीं होगा। इसलिए प्रतिवादी नं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक हो गया है। यह कि वाद कारण गत सोमवार को पैदा हुआ जब वादिया ने प्रतिवादी नं. 1 से राजस्व रेकार्ड में हो रहे गलत व त्रूटीपूर्ण अंकन को सही करवाने के लिये कहा तो उसके द्वारा मना करने से व आराजी को खुर्द–बुर्द करने की धमकी देने से वाद कारण निरन्तर जारी रहने से दावा प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा को लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। दावा उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादिया मय खर्चा स्वीकार एवं डिक्री फरमाया जाकरः–

(अ) दावे के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी में वादिया के 1/3 हिस्से के स्थान पर 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाये प्रतिवादी नं. 1 जिसके दो नाम अजीज खां पुत्र छोटे खां व अब्दुल खां पुत्र छोटे खां के स्थान पर एक नाम अब्दुल अजीज खां पु[illegible] दर्ज किया जाकर उसका भी 1/2 हिस्सा द[illegible] आ रहे है तथा 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज हो [illegible] एक नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

अब्दुल अजीज खां करने व उसका 1/2 हिस्सा दर्ज करने एवं तदनुसार राजस्व अधिकार अभिलेख यानी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में दुरुस्ती एवं अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

(ब) प्रतिवादी नं. 1 अब्दुल अजीज खां को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये कि वो दावे के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजियात में अपने दो नाम दो हिस्से 1/3, 1/3 का नाजायज फायदा उठाकर आराजी को या उसके किसी भी भू–भाग को बेचान आदि नहीं करे वादिया के कब्जे काश्त उसके 1/2 हिस्से में बेजा मदाखलत व मजाहमत ना तो स्वयं करे और ना ऐसा किसी अन्य से करवाये।

(स) अन्य सहायता जो न्यायोचित व आवश्यक वादिया को प्रदान किये जाने की कृपा की जाये।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि दावे का पैरा नं. 1 स्वीकार है। दावे का पैरा नं. 2 स्वीकार है। दावे का पैरा नं. 3 स्वीकार है। दावे का पैरा नं. 4 स्वीकार है। दावे का पैरा नं. 5 जवाब का मोहताज नहीं है। दावे का पैरा नं. 6 जवाब का मोहताज नहीं है। दावे का पैरा नं. 8 कानूनी है। दावे का पैरा नं. 9 कानूनी है। दावे के अन्त में चाही गई प्रार्थना व प्रार्थना की उपमद अ स्वीकार है तथा उपमद ब किसी भी प्रकार के जवाब की मोहताज नहीं है तथा उपमद स स्वीकार है। अतः जवाब दावा इकबाली पेश कर निवेदन है कि वादिया द्वारा पेश किया गया वाद स्वीकार एवं डिक्री किये जाने में प्रतिवादी नं. 1 को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

3. प्रतिवादी सं. 2 पेरोकार सरकार द्वारा पत्रांक 1287 दिनांक 25.10.2024 से जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलावरा प०म० ओडियाखेडी में नई खाता स० 157 की आराजियात ख०न० 133 रकबा 0.4300 है० ख०न० 138 रकबा 0.7967 हैं० ख०न० 231/464 रकबा 2.6431 हे० खं०न० 43 रकबा 0.5564 हे०, ख०न० 46/450 रकबा 0.[illegible] ख०न० 51 रकबा 0.2656 है० कुल रकबा 6.1344 [illegible] शकीला पुत्री नूर खाँ ने दिनांक 09.07.2024 को [illegible] 2024/ [illegible]01355 के कम में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

ख०न० 231/464 रकबा 2.6431 में से स्वयं के हिस्से 1/3 में से 60/210 हिस्से का बैचान नईमुद्दीन अल्ताफ व अफरूद्दीन पुत्र निजामुद्दीन जाति मेवाती निवासी दिलावरा को बेचान कर दी गई। रजिस्टर्ड दस्तावेज संलग्न कर दिया गया जो खाता न० नया 176 बन चुका पुराना खाता स० 150 में 5 खसरे व तीनो खातेदार पुर्व की भाति है। महोदय राजस्व रिकार्ड में कही कही अजीज खा पुत्र छोटे खाँ पुत्र छोटे खॉ व अब्दुल खों पुत्र छोटेखों एक ही व्यक्ति दर्शा रखा है व कही कही त्रुटिवश दो व्यक्ति दर्शा रखे हैं महोदय ग्रामवासियान से ली गई जानकारी में अब्दुल खों व अजीज खाँ दोनो एक ही व्यक्ति होना पाया गया जो शुद्ध रूप में अब्दुल अजीज खाँ हैं महोदय छोटे खा की 2 पत्निया थी पहली पत्नी फुली बाई से गुलशेर खों व दलशेर खॉ हैं दोनो फोत हो चुके हैं दूसरी पत्नी से भूरी बाई उर्फ फूली बाई के अब्दुल अजीजखों व नूर खाँ थे नूर खॉ के फोत होने पश्चात उनके वारिस शकीला पुत्र नूर खों हफीजन बाई घापू बाई पत्नि नूरखॉ बने। हफीजन बेऔलाद व धापूाई से एक पुत्री शकीला हैं। सेटलमेन्ट एवम 2022–2041 तक नूरखों व अब्दुल खों अजीज पुत्र छोटे खॉ था 2071–2078 तक चला प्रार्थीया को दोनो माता हफीजन व धापूबाई के फौत से दोनो की आराजी शकीला प्रार्थीया के नाम दर्ज हुई धापूबाई फोती नामा० 490 व अफीजन बी फोती नामा० न० 502 हैं जो संलग्न हैं। वादी व प्रतिवादी की एक अन्य आराजी उक्त ग्राम में हैं जिसमें अब्दुल अजीज पिता छोटे खाँ दर्ज हैं जो सेटलमेन्ट समय से ही चली आ रही हैं। प्रतिवादी को उक्त जमा खाता 150 मे से किसी भी प्रकार के बैचान दान आदि करने से पाबन्द कर दिया गया व प्रतिवादी द्वारा खुर्द बुर्द नही करने को भी कहा गया है। प्रतिवादी भी अपने दोनो नामो को एक कर अपना हिस्सा सही करवाना चाह रहा हैं प्रतिवादी द्वारा हिस्सा सही करवाना चाह रहा हैं प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द करने की मना किया हुआ हैं। समस्त राजस्व रिकार्ड व मजमें आम में पुछताछ से निष्कर्ष निकला हैं कि– 1 छोटे खाँ की दूसरी पत्नी से केवल 2 पुत्र अब्दुल अजीज खों व नूरखा हैं। 2. नुरखों के फोत पश्चात शकीला का नाम दर्ज हुआ है। 3 [illegible] में अब्दुल अजीज खाँ व शकीला ही खातेदार हैं [illegible] आधा हिस्सा हैं। 4 मजमें आम में पूछताछ से पता [illegible] व अजील खों एक ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

व्यक्ति हैं। 5 प्रतिवादी भी चाहता हैं कि उसका नाम शुद्ध हो तथा 1/2 हिस्से में नाम दर्ज हो सम्पुर्ण जानकारी वादी प्रतिवादी व ग्रामवासियान की उपस्थिति में ली गई बाद जॉच रिर्पोट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेर्षित है।

4. वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम दिलावरा के खाता सं. 23, 64 सेंटलमेंट जमाबंदी सं. 2022–41 की तीन नकल, खाता सं. 64 जमाबंदी सं. 2030–33, खाता सं. 38 जमाबंदी सं. 2034–37, खाता सं. 45 जमाबंदी सं. 2038–41, खाता सं. 46 जमाबंदी सं. 2055–58, खाता सं. 29, 150 जमाबंदी सं. 2075–78 की नकले पेश की एवं मौखिक साक्ष्य में शकीला बी पत्नि शकील अहमद, शकील अहमद पि. छोटेखां, PW 1 To PW 2 के शपथ पत्र/बयान कराये।

5. प्रतिवादी सं. 2 पेरोकार सरकार द्वारा दस्तावेज में ग्राम दिलावरा के खाता सं. 24, 126 जमाबंदी सं. 2071–74, खाता सं. 25, 46 जमाबंदी सं. 2055–58, खाता सं. 24, 45 जमाबंदी सं. 2038–41, खाता सं. 29, 150, 176 जमाबंदी सं. 2075–78 की नकले एवं रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 09.07.2024 की छायाप्रति तथा ग्राम दिलावरा का नामा.सं. 490 दिनांक 06.05.2019 व नामा.सं. 502 दिनांक 07.06.2020 पेश की।

6. अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम दिलावरा तहसील पिडावा की वादग्रस्त आराजी की भू.प्रबंध विभाग की जमाबंदी सं. 2022–41 में खातेदार नूरखां व अब्दुल अजीज पिता छोटेखां जाति मुसलमान हिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड था। वादग्रस्त आराजी किता 6 रकबा 20–06 बीघा में नूरखां पि. छोटे खां हिस्सा 1/2 व अब्दुल अजीज पि. छोटेखां हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड था लेकिन सं. 2030–33 व 2034–37 की जमाबंदी बनाते समय राजस्व कार्मिको द्वारा खातेदारान के नाम में त्रुटीवश नूरखां व अब्दुलखां अजीज पिता छोटेखां हिस्सा बराबर दर्ज कर दिया गया था। सं. 2038–41 की वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी चौसाला बनाते समय राजस्व कार्मिको द्वारा पुनः ग[illegible] ला[illegible]ही करते हुए अब्दुल खां अजीज पि. छोटेखां की जगह अब्दुलखां अ[illegible]खां पिता छोटेखां दर्ज कर हिस्सा बराबर अंकित कर दिया गया। इस प्रकार राजस्व कार्मिको की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

गंभीर लापरवाही के चलते एक व्यक्ति के जमाबंदी में दो व्यक्ति बना दिये गये जिससे वादीया का हिस्सा 1/2 के स्थान पर 1/3 गैर कानूनी रूप से दर्ज कर दिया गया। अब्दुल अजीज पि. छोटेखां निवासी दिलावरा एक ही व्यक्ति है न कि अब्दुल खां पि. छोटेखां व अजीज खां पि. छोटेखां के रूप में दो भिन्न व्यक्ति है। मूल खातेदार छोटेखां के दो पुत्र अब्दुल अजीज खां एवं नूरखां थे और छोटेखां के फोत होन के बाद उनकी वादग्रस्त आराजी दोनो पुत्रों 1/2–1/2 हिस्से दर्ज हुई थी परन्तु राजस्व कार्मिकों द्वारा गंभीर लापरवाही करते हुए दो पुत्रों की गणना तीन पुत्रों के रूप में कर हिस्सा 1/3–1/3 अंकित कर दिया जबकि मौके पर दोनो पुत्र बराबर बराबर भूमि पर कब्जे काश्त चले आ रहे है। बाद में नूरखां के फोत होने पर उनकी वारीस शकीला बी का हिस्सा 1/3 दर्ज रहा। **अभिभाषक वादीया द्वारा आगे तर्क किया गया कि ग्राम दिलावरा तहसील पिडावा की अन्य भूमि वर्तमान खाता सं. 29 किता 6 रकबा 7.2967 है. मे प्रतिवादी सं. 1 का सही नाम अब्दुल अजीज खां पि. छोटेखां दर्ज रिकार्ड है।**

7. अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 ने बहस के दौरान अभिभाषक वादी की बहस को स्वीकार करते हुए कथन किया कि मूल खातेदार छोटेखां के दो पुत्र नूरखां व अब्दुल अजीज खां थे। छोटेखां के अजीज खां नाम का कोई पुत्र या वारीसान नहीं थी। छोटेखां की मृत्यु के बाद दोनो भाईयों के पक्ष में 1/2–1/2 हिस्से का नामान्तरण तस्दीक होकर मौके पर कब्जे काश्त चले आ रहे थे। राजस्व कार्मिको द्वारा की गई त्रुटी को दुरूस्त किया जाकर वादग्रस्त आराजी में अजीज खां व अब्दुल खां को एक इकाई मानकर हिस्सा 1/2 दर्ज किया जावे और नूरखां की पुत्री शकीला बी का हिस्सा दुरूस्त कर 1/3 के स्थान पर 1/2 किया जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

8. प्रतिवादी सं. 2 पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 के कथनों से सहमति व्यक्त करते हुए राजस्व रिकार्ड में राजस्व कार्मिको द्वारा अब्दुल अजीज खां पि. छोटेखां के स्थान पर अब्दुखां पि. छोटेखां व अजीज खां [illegible] हुई त्रुटी को स्वीकार करते हुए पुनः अब्दुल अजी[illegible] पुत्री नूरखां हिस्सा 1/2 किये जाने की [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

9. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम दिलावरा तहसील पिडावा की भू.प्रबंध विभाग की जमाबंदी सं. 2022–41 के अनुसार ख.नं. 43, 51, 133, 138, 46/450 व 231/464 किता 6 रकबा 20–06 बीघा नूरखां एवं अब्दुल अजीज पि. छोटेखां हिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड थी। ग्राम दिलावरा की जमाबंदी सं. 2030–33 के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त चौसाला जमाबंदी बनाते समय वादग्रस्त आराजी में खातेदार का नाम नूरखां व अब्दुल खां अजीज पिता छोटेखां हिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड था। अतः स्पष्ट है कि उक्त दोनो जमाबंदियों में तत्कालीन राजस्व कार्मिको द्वारा अब्दुल अजीज के नाम के दोनो शब्दो के मध्य **खां शब्द** अतिरिक्त रूप से जोडा गया। वादग्रस्त आराजी की अगली चौसाला जमाबंदी सं. 2034–37 में अब्दुल खां अजीज पिता छोटेखां नाम यथावत रखा गया। राजस्व कार्मिको द्वारा अगली चौसाला जमाबंदी सं. 2038–41 बनाते समय खातेदार अब्दुल खां अजीज पि. छोटेखां के **नाम के तीसरे शब्द अजीज के बाद एक और शब्द खां गलत रूप से जोड दिया गया** जिससे एक व्यक्ति अब्दुल अजीज खां के स्थान पर अब्दुल खां अजीज खां नामक दो व्यक्ति बना दिये गये। आगामी चौसाला जमाबंदियों में सं. 2071–74 तक यथावत रहे। इसके बाद सेग्रिगेशन के दौरान प्रत्येक खातेदार का हिस्सा अकित करते समय अब्दुल खां पि. छोटेखां हिस्सा 1/3, अजीज खां पि. छोटेखा हिस्सा 1/3 व शकीला पि. छोटेखा हिस्सा 1/3 दर्ज कर दिया गया जो बिना किसी विधिक आधार के दर्ज किये गये। **यह सुस्थापित कानूनी तथ्य है कि किसी भी भू.प्रबंध विभाग के कार्मिकों एवं राजस्व कार्मिक को सक्षम न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना किसी भी खातेदार के राजस्व रिकार्ड की मूल प्रविष्टियों में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है।**

10. वादी, प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादपत्र के मद सं. 2 में अंकित मूल खातेदार छोटेखां के पारिवारिक शजरे को आपसी सहमति से स्वीकार करते है अर्थात मूल खातेदार छोटेखां के पारिवारिक शजरे को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। उक्त शजरे से यह तथ्य विवादित है कि छोटेखां के दो पुत्र नूरखां एवं अब्दुल अजीज खां है। अब्दुल खां व अजीज खां नाम के दो अलग अलग पुत्र नहीं है। ग्राम दिलावरा के हाल खाता सं. 29 किता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

6 रकबा 7.2968 है. की जमाबंदी सं. 2038–41, सं. 2055–58, सं. 2071–74 सं. 2075–78 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अब्दुल अजीज खां पि. छोटेखां एक ही व्यक्ति है न कि दो भिन्न भिन्न व्यक्ति है।

11. वादीगण द्वारा पेश साक्ष्य गवाहान PW 1 To PW 2 ने अपने सशपथ बयानों स्वीकार किया है कि मूल खातेदार छोटे खां के दो पुत्र नूरखां एवं अब्दुल अजीज खां थे। अब्दुल खां पि. छोटेखां एवं अजीज खां पि. छोटेखा अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति है। दोनो भाईयों का हिस्सा 1/2–1/2 दर्ज चला आ रहा है लेकिन सहवन से राजस्व कार्मिको की गलती से हिस्सा 1/3–1/3 दर्ज हो गया है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है।

12. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम दिलावरा की खाता सं. 29 की आराजी किता 6 रकबा 7.2968 है. भूमि में सहखातेदार अब्दुल खां पि. छोटेखां हिस्सा 1/3 व अजीज खां पि. छोटेखां हिस्सा 1/3 को दुरूस्त कर अब्दुल अजीज खां पि. छोटेखां हिस्सा 1/2 तथा शकीला पि. नूरखां हिस्सा 1/3 के स्थान पर हिस्सा 1/2 किया जाकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 209 आर.टी.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम दिलावरा की खाता सं. 29 की आराजी किता 6 रकबा 7.2968 है. भूमि में सहखातेदार वादीया शकीला पि. नूरखां का हिस्सा 1/3 के स्थान पर दुरूस्त कर हिस्सा 1/2 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी प्रकार सहखातेदार अब्दुल खां पि. छोटेखां हिस्सा 1/3 व अजीज खां पि. छोटेखां हिस्सा 1/3 के [illegible] में दुरूस्त किया जाकर एक व्यक्ति अब्दुल अजीज खां [illegible] हिस्सा 1/2 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। शकीला [illegible] का हिस्सा 1/3 के स्थान पर हिस्सा 1/2 किया जाकर खातेदार [illegible] घोषित किया जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०।

Scanned with OKEN Scanner

है। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/3/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 41/2024 दायर दिनांकः 22.04.2024

उनवान

1. शकीलाल बी पत्नि शकील अहमद पुत्री नूर खां जाति मुसलमान नि. दिलावरा तहसील पिडावा

— वादी

बनाम

1. अब्दुल अजीज खां पि. छोटे खां जाति मुसलमान नि. दिलावरा तहसील पिडावा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 209 रा.टी.एक्ट व

धारा 135, 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति विद्धान अभिभाषकगण —

वकील वादी — श्री रमीज रजा कुरेशी

प्रतिवादी सं. 1 — श्री मसूद अहमद खान

प्रतिवादी सं. 2 — पेरोकार सरकार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....x..... रूबरू.....x.....

मिनजानित मुदई रूबरू .....x.....वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 209 आर.टी.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम दिलावरा की खाता सं. 29 की आराजी किता 6 रकबा 7.2968 है. भूमि में सहखातेदार वादीया शकीला पि. नूरखां का हिस्सा 1/3 के स्थान पर दुरूस्त कर हिस्सा 1/2 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी प्रकार सहखातेदार अब्दुल खां पि. छोटेखां हिस्सा 1/3 व अजीज खां पि. छोटेखां हिस्सा 1/3 के एक व्यक्ति होने से राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाकर एक व्यक्ति अब्दुल अजीज खां पि. छोटेखां हिस्सा 1/2 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। शकीला पि. नूरखां का हिस्सा 1/3 के स्थान पर हिस्सा 1/2 किया जाकर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:46 IST
Reason: SelfAttested

18/3/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद वपारह .. ....X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 18.03.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिष्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिष्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner